रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/बैशाख 6, 1921
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1999

सं. 8/1/99-के. वि. वि. आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-1

साधारण

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निवर्चन :—

1. (क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 है।

(ख) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

(ग) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनिययम" से विद्युत विनियानक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से अधिनियम के अधीन गठित केन्द्रीय आयोग अभिप्रेत है।

(ग) "अधिकारी" से इस आयोग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "याचिका" से सभी याचिकाएं, आवेदन, परिवाद, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक अभिवचन, अन्य कागज-पत्र तथा दस्तावेज अभिप्रेत हैं।

(ङ) "कार्यवाही" से वे सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत वे सभी प्रकार की कार्यवाहियां आती हैं जो अधिनियम के अधीन आयोग, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर सकता है।

(च) "विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 अभिप्रेत है।

(छ) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

1264 GI/99—1(1)

2. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधि हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1997 के उपबन्ध इन विनियमों को लागू होंगे।

आयोग का कार्यकाल, कार्यालय समय तथा बैठकें :

3. आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा इस निमित्त समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

4. जब तक अन्यथा निदेशित न किया जाए तब तक आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय शनिवार, रविवार तथा केन्द्रीय स अधिसूचित केन्द्रीय सरकार की छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन खुले रहेंगे। आयोग के मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ऐसे सम खुले रहेंगे जैसा आयोग द्वारा इस निमित्त निर्देश दिया जाए।

5. जहां कोई अंतिम कार्यदिवस ऐसे दिन पड़ता है जिसको आयोग का कार्यालय बन्द रहता है तथा इस कारण उस दिन कोई नहीं की जा सकती है तो वहां वह कार्य अगले कार्यदिवस को किया जाएगा जिस दिन कार्यालय खुलता है।

6. आयोग मामलों की सुनवाई के लिए बैठकें मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, दिन और समय पर आयोजित कर सकेगा जै द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

आयोग की भाषा :

7. आयोग की कार्यवाहियाँ, यदि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाता है तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएँगी।

8. यदि आयोग द्वारा अनुज्ञा दी जाती है तो अँग्रेजी अथवा हिन्दी से भिन्न अन्य किसी भी भाषा में कोई याचिका, दस्तावे अन्य सामग्री आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी अन्यथा तभी स्वीकार की जाएगी जब इनका अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवाद सं गया हो।

9. कोई भी अनुवाद जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा सहमति दी जाती है अथवा कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जि अँग्रेजी/हिन्दी अनुवाद किया था, अधिप्रमाणिकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आयोग द्वारा उसे सही अनुवाद के रूप किया जा सकेगा।

10. आयोग, उपयुक्त मामलों में याचिका, अभिवचन, दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के अँग्रेजी अनुवाद के प्रयोजन के लिए अ पदाभिहित किसी अधिकारी या व्यक्ति को इसके अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

आयोग की मुद्रा:

11. आयोग की पृथक से मुद्रा होगी, जो यह उपदर्शित करेगी की वह मुद्रा उसकी है ।

आयोग के अधिकारी :

12. (1) आयोग को भिन्न-भिन्न कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की श यह ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं अनुभव तथा अन्य निबंधन और र्तें कर सकेगा।

(2) आयोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में आयोग को सहयोग देने के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर सकेगा । सलाहकारों क के निबंधन और शर्तें समय-समय पर आयोग की बैठकों द्वारा विहित की जाएंगी ।

13. (1) आयोग का प्रमुख अधिकारी सचिव होगा तथा वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निर्व

(2) अधिनियम के अधीन आयोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में जैसा वह उपयुक्त समझेगा सचिव से सहयोग लेगा तथा सचिव सहयोग देने के लिए बाध्य होगा।

(3) सचिव को उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर विशिष्टतया और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित शक्तियां वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) वह आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा की अभिरक्षा करेगा।

(ख) वह आयोग से संबंधित सभी याचिकाओं, आवेदनों अथवा संदर्भ को प्राप्त करेगा अथवा करवाएगा।

(ग) वह इस संबंध में आयोग को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में इसके समक्ष के प्रत्येक मामले में विभिन्न पक्षकारों द्व किए गए सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार करेगा अथवा करवाएगा।

(घ) वह आयोग द्वारा प्रयोज्य शक्तियों से संबंधित कार्यवाही में आयोग का सहयोग करेगा।

(ङ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करेगा।

(च) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

(छ) वह केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा यथा-निदेशित ऐसी जानकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकारी होगा तथा जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

14. आयोग, अपने अधिकारियों को ऐसे कृत्य, जिसके अंतर्गत विनियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य भी हैं, ऐसे निबंधन और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसी आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाएँ।

15. सचिव, आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों अथवा अन्यथा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

16. सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किया जाए, सचिव के सभी कृत्यों का प्रयोग करेगा।

17. आयोग को हर समय यह प्राधिकार होगा कि वह किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार से प्राप्त आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से यदि आयोग ऐसा किया जाना उपयुक्त समझता है, सचिव द्वारा अथवा आयोग के अधिकारियों द्वारा किए गए किसी आदेश अथवा की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपान्तरण, संशोधन, परिवर्तन अथवा अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा।

उपभोक्ता संगमों के लिए मान्यता :

18. (1) आयोग किसी भी संगम/फोरम अथवा अन्य निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दे सकेगा।

(2) आयोग, कार्यवाही को समय पर पूरा करने की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट संगमों/फोरम को इकट्ठा होने के लिए निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा जिससे कि वे सामूहिक रूप से शपथपत्र दे सकें।

(3) आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे संगमों, समूहों, फोरम अथवा निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम के रूप में मान्यता के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा।

19 (1) आयोग, यदि आवश्यक समझे तो वह उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

(2) आयोग, उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त अधिकारी अथवा व्यक्ति को ऐसी फीस, लागत या खर्च के भुगतान के लिए ऐसा निदेश दे सकेगा जैसा आयोग उपयुक्त समझे और जो कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

अध्याय-2

आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित साधारण नियम

आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, आदि :

20. आयोग, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए जैसा वह उचित समझे, समय-समय पर, सुनवाई, बैठकें, विचार-विमर्श, विवेचना, जाँच, अन्वेषण तथा परामर्श करेगा।

गणपूर्ति :

21 आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए गणपूर्ति की संख्या तीन होगी।

सदस्यों की उपस्थिति तथा मतदान :

22. कोई सदस्य, पदेन सदस्य सहित किसी निर्णय पर अपने मत का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मामले में वह आयोग की सारवान सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहा हो।

प्रतिनिधित्व का प्राधिकार :

23. कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष अपना पक्ष समर्थन अपनी ओर से कार्य करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रीति से किसी अधिवक्ता या किसी कानूनी वृत्तिक निकाय के ऐसे सदस्य को जो कि विधिक व्यवसाय का प्रमाण-पत्र रखता हो, प्राधिकृत कर सकेगा। कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष स्वयं भी उपसंजात हो सकेगा या अपनी ओर से अपने किसी कर्मचारी को उपसंजात होने और कार्य करने या अभिवचन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। आयोग, समय-समय पर, ऐसे निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने और कार्य करने तथा अभिवचन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

कार्यवाहियों का शुरू होना :

24. आयोग, स्वतः अथवा किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही शुरू कर सकेगा।

25. आयोग, कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर सकेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे तो प्रभावित पक्षकारों को ऐसे नोटिस तामील के लिए, उत्तर फाइल करने के लिए और याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर उपयुक्त प्ररूप में फाइल किये जाने के नि भी दे सकेगा । आयोग यदि उचित समझे तो कार्यवाही के मामले पर टीका टिप्पणियां ऐसे प्ररूप में जैसा आयोग निदेश दे, आंमत्रित क हुए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

26. आयोग उचित मामलों में जाँच के नोटिस जारी करते समय आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग माम में याचिकाकर्त्ता के रूप में मामले को प्रस्तुत करने के लए उचित समझे, निर्दिष्ट कर सकेगा।

आयोग के समक्ष याचिका तथा अभिवचन :

27. आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली सभी याचिकाएँ टाइप, साइक्लोस्टाइल या सफेद कागज के एक ओर पठनीय तथा साफ प्रिंट की होनी चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रम से संख्यांकित होना चाहिए। आयोग कम्प्यूटर डिस्क या इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दि निबंधन तथा शर्तों पर याचिका फाइल करने की स्वीकृति दे सकेगा। याचिका की विषय-वस्तु अलग-अलग पैरा में समुचित रूप विभाजित होनी चाहिए, जोकि क्रम से संख्यांकित हो। याचिका के साथ समर्थन में वह दस्तावेज, समर्थक डाटा, विवरण संलग्न होने चाहि जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करे।

साधारण शीर्षक :

28. आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं के और सभी प्रकाशनों तथा नोटिसों के साधारण शीर्षक प्ररूप-1 में होंगे।

समर्थन में शपथ-पत्र :

29. (1) याचिकाएँ शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएंगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथ-पत्र प्ररूप-2 में होगा।

(2) सभी शपथ-पत्र एकवचन में लिखे जाने चाहिए तथा पूरा नाम, उम्र, व्यवसाय और अभिसाक्षी का पता तथा वह हैसियत जिसमें व हस्ताक्षर कर रहा है तथा जिस हैसियत में शपथ पत्र लेने के लिए तथा प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के सम हस्ताक्षरित तथा शपथित किए जा सकेंगे, का विवरण होना चाहिए।

(3) प्रत्येक शपथ पत्र में कथन स्पष्टतः तथा अलग से यह उपदर्शित करेंगे कि उसमें—

(क) अभिसाक्षी के ज्ञान के अनुसार,

(ख) अभिसाक्षी को प्राप्त जानकारी के अनुसार, तथा

(ग) अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार सत्य है।

(4) शपथ पत्र में जहाँ किसी कथन को अभिसाक्षी को प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य कहा गया हो, शपथ पत्र सूचना के स्रोत भी प्रक करेगा तथा एक कथन भी संलग्न करेगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि उक्त जानकारी सत्य है।

30. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसार जो कोई आयोग की किसी भी कार्यवाही में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी कार्यवाही में प्रयोग के प्रयोजन से गलत साक्ष्य गढ़ेगा, वह कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

प्रस्तुतीकरण तथा याचिकाओं की जाँच :

31. सभी याचिकाओं को सात प्रतियाँ फाइल की जाएंगी तथा याचिका का प्रत्येक सेट सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। याचिका के साथ संदेय फीस आयोग द्वारा विहित की जाएगी।

32. सभी याचिकाएँ व्यक्तिगत रूप से या सभी प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा मुख्यालयों में या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए ऐसे अन्य फाइलिंग केन्द्र या केन्द्रों पर नियत समय के दौरान प्रस्तुत की जाएँगी। आयोग को याचिकाएँ ऊपर उल्लिखित स्थानों पर रजिस्टर्ड डाक पावती द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यदि यह मामले अभिलेख पर पहले से दर्ज न किए गए हों तो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा याचिका प्रस्तुत करते समय अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा तथा याचिका के साथ प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज भी फाइल किए जाने चाहिएं।

33. याचिका प्राप्ति पर, याचिका प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पदाभिहित आयोग का अधिकारी मुहर लगाकर तथा जिस तारीख को याचिका प्रस्तुत की गई वह तारीख डालकर पावती देगा तथा याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ प्राप्ति सूचना भी देगा। याचिका

यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को याचिका आयोग के कार्यालय में वास्तविक रूप से प्राप्त होगी वही तारीख याचिका के प्रस्तुतीकरण की तारीख मानी जाएगी।

34. याचिका के प्रस्तुतिकरण तथा प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जाएगी।

35. प्राप्तकर्ता अधिकारी किसी ऐसी याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है जो अधिनियम या विनियमों के उपबंधों या आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप नहीं है या कोई अन्य त्रुटि है या जो विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुसार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत की गई है:

परंतु किसी याचिका को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए दिए गए समय में त्रुटी सुधार का अवसर दिए बिना, अभिवचनों में या प्रस्तुतीकरण में त्रुटियों की वजह से नामंजूर नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी फाइल की गई याचिका में की गई त्रुटियों को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेगा।

36. याचिका के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राप्तकर्ता अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति यह प्रार्थना कर सकता है कि मामले को समुचित आदेशों के लिए आयोग के सचिव के सम्मुख रखा जाए।

37. अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जिसे अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित करे, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका मंगाने का हकदार होगा तथा याचिका के प्रस्तुतीकरण और मंजूरी से संबंधित ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

38. यदि जाँच करने पर, याचिका नामंजूर नहीं की जाती अथवा सचिव या अध्यक्ष या इस प्रयोजन के लिए आयोग के पदाभिहित सदस्य द्वारा नामंजूरी के किसी आदेश को परिशोधित किया जाता है तो याचिका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में एक नम्बर दिया जाएगा।

39. जैसे ही याचिका तथा सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तथा त्रुटियों और आपत्तियों, यदि कोई हों तो, दूर की जाती हैं तथा याचिका की जांच कर ली गई हो तथा उसे संख्यांकित कर दिया गया हो तो याचिका प्रारंभिक सुनवाई तथा स्वीकृति के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

40. आयोग, पक्षकार की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना भी याचिका को स्वीकृत कर सकता है। आयोग सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वीकृति रद्द करने के आदेश पारित नहीं करेगा। आयोग यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें वह चाहे याचिका की सुनवाई के लिए, नोटिस जारी कर सकता है।

41. यदि आयोग, याचिका स्वीकार करता है तो प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) तथा अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्ररूपों में जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करे, याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए, नोटिस तामील करने के लिए तथा याचिका को यथास्थिति, आयोग/न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने के ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकता है जिन्हें वह आवयक समझे।

आयोग द्वारा जारी नोटिस तथा आदेशिका तमील करना :

42. (1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेशिका या सम्मन की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी :

(क) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामील इस प्रकार की जाएगी जैसी आयोग द्वारा निर्देशित हो;

(ख) किसी संदेशवाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना;

(ग) पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा;

(घ) उन मामलों में, जहाँ आयोग का यह समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त प्रकार से नोटिस, अदेशिका इत्यादि तमील करना व्यावहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा;

(ड़) किसी अन्य प्रकार से जिसे आयोग उचित समझे।

(2) प्रत्येक मामले में आयोग यह निर्णय करने का हकदार होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार के तामील के प्रकाशन का व्यय वहन करेगा।

43. कोई नोटिस या आदेशिका, जिसकी तामील की जानी आपेक्षित है या किसी व्यक्ति को पहुँचाई जानी है उस व्यक्ति या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर या उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्राय: रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, भेजी जा सकेगी।

44. उस दशा में जब आयोग के समक्ष कोई मामला लम्बित हो तथा तामील किए जाने वाले व्यक्ति ने किसी अभिकर्ता अथवा प्रतिनि में प्रस्तुत होने या स्वयं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर दिया हो तो अभिकर्ता या प्रतिनिधि को सभी मामलों में संबंधित पक्षकार नोटिस तथा आदेशिकाएँ तामील होने के लिए सशक्त समझा जाएगा तथा ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि को की गई तामील को, तामील किए जाने वा तामील माना जाएगा।

45. जहाँ नोटिस कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दिया जाए तो वह पक्षकार तामील का शपथ आयोग में आदेशिकाओं तथा नोटिस के तामील की तारीख तथा रीति का विवरण देते हुए फाइल करेगा।

46. यदि किसी याचिका को प्रकाशित करना अपेक्षित हो तो इसे विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रूप में, समाचार पत्र में ऐसी अवधि और ऐसे समय भीतर प्रकाशित किया जाएगा, जिसे आयोग निर्दिष्ट करे।

47. त्रुटि के नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील या उनके प्रकाशन के संबंध में विनियमों या आयोग के निदेशों की अनुपालना न होने आयोग या तो याचिका खारिज कर सकता है या ऐसे अन्य या और निदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे ।

48. व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि होने की वजह से किसी तामील या प्रकाशन को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा परंतु यह तब जबकि आयोग का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है तथा किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब त अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग, किए गए आक्षेप पर यह न समझे कि उस त्रुटि या अनियमितता के कारण वास्तव में अन्याय हुआ है या ऐ करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण हो।

उत्तर, विरोध, आक्षेपों इत्यादि को फाइल करना :

49. प्रत्येक व्यक्ति जिसे जाँच का नोटिस या याचिका जारी की गई (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रत्यर्थी कहा गया है) जो याचिका का विरोध या समर्थ करना चाहता है उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को, जिन पर निर्भर किया गया है, सात प्रतियों में ऐसी अवधि के भीतर फाइल करेगा। फाइल किए गए उत्तर म प्रत्यर्थी जाँच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, इंकार या स्पष्ट करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेग जिन्हें वह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझता है। उत्तर याचिका की ही रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथ पत्र द्वा समर्थित किया जाएगा।

50. प्रत्यर्थी उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की सच्ची प्रति के रूप में सम्यक् रूप से सत्यापित प्रतियों के साथ याचिकाकर्त्ता को या उसके प्राधिकृ प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा आयोग के कार्यालय में ऐसी तामील का प्रमाण भी फाइल करेगा।

51. जहाँ प्रत्यर्थी मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है, तो आयोग याचिकाकर्त्ता को प्रत्यर्थी द्वार दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकता है । उत्तर फाइल करने की ऊपर वर्णित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर फाइल करन के लिए लागू होगी।

52. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, (ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें उत्तर मांगते हुए नोटिस, आदेशिकाएं इत्यादि जारी की गई हैं) जो इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रकाशन के अनुसरण में आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के आक्षेपों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लि पदाभिहित अधिकारी को पहुँचाएगा।

(2) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रतिभागिता मामले की कार्यवाहियों तथा निण में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसमें संगम, फोरम निगमित निकाय भी सम्मिलित हैं, जिन्हें वह उपयुक्त सम आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(3) जब तक कि आयोग ने अनुज्ञा न दी हो, आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से कार्यवाहियों में मौखिक निवे करने हेतु भाग लेने का हकदार नहीं होगा। तथापि, आयोग आक्षेपों या टिप्पणियों के निपटान के लिए कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐस अवसर जिसे आयोग उचित समझे, देने के पश्चात फाइल किए गए आक्षेपों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने का हकदार होगा।

मामले की सुनवाई :

53. आयोग, मामले की सुनवाई के लिए जैसा उपयुक्त समझे प्रक्रम, रीति, स्थान, तारीख निर्धारित कर सकता है।

54. (1) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विनिश्चय कर सकता है या पक्षकारों को शपथ पत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(2) यदि आयोग, मौखिक निवेदन द्वारा पक्षकार को साक्ष्य देने का निदेश देता है तो आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो दूसरे पक्षका को साक्षी देने वाले व्यक्तियों की प्रति परीक्षा करने का अवसर दे सकता है।

(3) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए निदेश दे सकता है।

(4) आयोग पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाइल करने का निदेश दे सकता है।

आयोग की अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य इत्यादि माँगने की शक्तियाँ :

55. आयोग किसी भी मामले पर आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय पक्षकारों या उनमें से किसी एक या अधिक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग उपयुक्त समझे, ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है जिन्हें आयोग स्वयं को आदेशों को पारित करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से आवश्यक समझे।

56. आयोग, साक्षी को सम्मन करने का, साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकने वाले किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक सामग्री की खोज या उसे पेश करने का, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख मांगने का, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के नियंत्रण या अभिरक्षा में रखे ऐसे लेखों, वहियों या अन्य दस्तावेजों या जानकारी की, जिसे आयोग मामले में समुचित समझता है परीक्षा करने का निदेश दे सकता है।

57. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसरण में आयोग की किसी भी कार्यवाही में जो कोई साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी कार्यवाही में प्रयोग के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह कारावास, जो सात वर्ष की अवधि तक हो सकती है तथा जुर्माने का भी दायी होगा।

58. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसरण में जो कोई साशय आयोग की कार्यवाहियों को अपमानित करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्माना जो 1000/-रु. तक हो सकता है या दोनों का दायी होगा।

विवाद्यकों का अन्यों को निर्देश करना :

59. (1) आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मामले के ऐसे विवाद्यक या विवाद्यकों को, जिन्हें वह उचित समझता है, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं, परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं हैं और जिन्हें आयोग विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिए अर्हित समझता है, निदेश करने का हकदार होगा।

(2) आयोग, समय-समय पर किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या स्तर या वहां की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित हैं, परन्तु उन तक ही सीमित नहीं है।

(3) आयोग, यदि यह ठीक समझे तो पक्षकारों को, ऊपर (1) और (2) में पदाभिहित व्यक्तियों के सम्मुख निर्दिष्ट मामलों पर अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिए पेश होने का निर्देश दे सकता है।

(4) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट या राय मामले के रिकार्ड का एक भाग होगा तथा आयोग द्वारा पदाभिहित व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय की प्रतियाँ पक्षकारों को दी जाएँगी। पक्षकार रिपोर्ट या राय के समर्थन या विरोध में अपने पक्ष का पाठ फाइल करने के हकदार होंगे।

(5) आयोग, मामले का विनिश्य करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय, पक्षकारों द्वारा फाइल उत्तर को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा और यदि [illegible] ऐसे व्यक्ति की आयोग के समक्ष परीक्षा होगी।

पार्टी के पेश न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

60. जब कोई मामला सुनवाई के लिए लाया जाए और सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों में से कोई या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि पेश न हो तो आयोग, अपने विवेकाधिकार से जब याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

61. जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है तथा यदि आयोग का यह समाधान हो जाए कि जब याचिका की सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, तो आयोग उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, आदेश वापस कर सकता है।

आयोग के आदेश :

62. आयोग, याचिका पर आदेशों को पारित करेगा तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो मामले की सुनवाई तथा विनिश्चय पर मतदान करते हैं, आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।

63. आयोग द्वारा आदेशों के समर्थन में दिए गए कारण जिनमें विसम्मत सदस्य, यदि कोई है, द्वारा दिए गए कारण भी सम्मिलित हैं, आदेश का एक भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण तथा प्रतियों को भेजे जाने के लिए उपलब्ध होंगे।

64. आयोग द्वारा जारी या सूचित किए गए सभी आदेश, सचिव के या अध्यक्ष द्वारा बाबत शसक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग के कार्यालय की मुद्रा होगी।

65. आयोग के सभी आदेश कार्यवाही के सभी पक्षकारों सचिव के अथवा अध्यक्ष या सचिव द्वारा इस बाबत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किए जाएंगे।

कार्यवाही के अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियों का भेजा जाना :

66. प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों का, केवल उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त हैं या अन्यथा उन्हें किसी व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता, निरीक्षण ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी शर्तों के, जो समय-समय पर आयोग द्वारा निदेशित की जाएं और जिनमें निरीक्षण के समय, स्थान और रीति तथा फीस के संदाय संबंधी शर्तें भी सम्मिलित हैं, अनुपालन के अधीन रहते हुए या तो कार्यवाही के दौरान अथवा आदेश पारित हो जाने के पश्चात किया जा सकेगा।

67. कोई व्यक्ति, आदेशों, विनिश्चयों निदेशों और आयोग द्वारा उनके समर्थन में दिए गए कारणों की प्रतियां लेने का हकदार होगा और साथ ही ऐसे अभिवचनों, कागजातों तथा आयोग के अभिलेखों के अन्य हिस्सें की, जिनका वह फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य शर्तों के, जिन्हें आयोग निदेशित करे, अनुपालन करने पर, प्रतियां लेने का हकदार होगा।

अंतरिम आदेश :

68. आयोग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में इस प्रकार के अतरिम आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

अध्याय-3

विवादों का माध्यस्थम

69. अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के साथ संबद्ध मामलों के संबंध में उत्पादन कम्पनियों अथवा पारेषण उपयोगिताओं से अंतर्वलित विवादों का माध्यस्थम, आयोग द्वारा संबंधित व्यकितयों में से किसी के आवेदन करने पर शुरू किया जा सकता है।

70. आयोग, संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग यह कारण बताओ नोटिस कि विवाद का माध्यस्थम क्यों न किया जाए, जारी करना उचित समझता है, नोटिस जारी करेगा।

71. आयोग ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, सुनवाई के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि प्रस्तावित माध्यस्थम के विरुद्ध कोई कारण नहीं दर्शाया गया है विवादों या मामलों को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने वाले आदेश पारित कर सकता है।

72. आयोग द्वारा माध्यस्थम के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां तक संभव हो वही होगी जो ऊपर अध्याय-2 में आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए उपबंधित है।

73. आयोग के समक्ष माध्यस्थम तथा कार्यवाही की लागत का वहन ऐसे पक्षकारों द्वारा किया जाएगा तथा उतनी राशि में किया जाएगा जो आयोग निदेशित करे।

अध्याय-4

अन्वेषण, जांच, जानकारी का एकत्रण आदि :

74. आयोग, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी का एकत्रण, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण के लिए अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे :

(क) आयोग, किसी भी समय अधिनियम के अधीन आयोग की अधिकारिता के भीतर किसी मामले के संबंध में सचिव अथवा एक या अधिक अधिकारियों अथवा सलाहकारों या किसी अन्य व्यक्ति को जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता है अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है।

(ख) आयोग, उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य निदेश, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, दे सकता है तथा ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके भीतर रिपोर्ट अथवा जानकारी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) आयोग, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने और उसकी परीक्षा अनुज्ञात करने तथा आयोग के इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी को बहियां, लेखे आदि रखने या विनिर्दिष्ट अधिकारी को जानकारी देने के निदेश जारी कर सकता है या सचिव अथवा किसी अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(घ) आयोग, किसी ऐसी जानकारी, विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों के, जिन्हें आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक समझता हो, एकत्रण के प्रयोजन के लिए ऐसे निदेश, जिन्हें आयोग आवश्यक समझे, जारी कर सकता है।

(ङ) यदि प्राप्त की गई कोई रिपोर्ट या जानकारी आयोग को अपर्याप्त या अधूरी प्रतीत होती है तो आयोग या सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, अतिरिक्त जांच करने, रिपोर्ट तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है।

(च) आयोग, उपर्युक्त के संबंध में इस प्रकार के आनुषंगिक, पारिणामिक तथा अनुपूरक मामलों पर, जिन्हें सुसंगत समझा जाए, ध्यान देने के निर्देश दे सकता है।

75. विनियम 74 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के संबंध में यदि आयोग उचित समझता है तो जांच का एक नोटिस जारी किए जाने और इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबंधित रीति के अनुसार मामले पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दे सकता है।

76. आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शदाता, विशेषज्ञ तथा ऐसे अन्य तकनीकी तथा वृत्तिक व्यक्तियों का, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सहयोग ले सकता है तथा उनकी किसी भी मामले अथवा विवाद्यक का अध्ययन, अन्वेषण, जांच करने तथा रिपोर्ट या रिपोर्ट अथवा कोई जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। आयोग इस प्रकार के वृत्तिकों की नियुक्ति के लिए निबंधनों एवं शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

77. यदि उपर्युक्त विनियमों या उसके किसी भाग के निबंधनों के अनुसार प्राप्त की गई रिपोर्ट या जानकारी पर, किसी कार्यवाही में आयोग की राय अथवा दृष्टिकोण तैयार करने के लिए निर्भर किए जाने का प्रस्ताव हो तो कार्यावाही के पक्षकारों को रिपोर्ट अथवा जानकारी पर आक्षेप फाइल करने तथा निवेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

अध्याय—5

टैरिफ विनियमन

78. अधिनियम की धारा 55 के साथ पठित धारा 28 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम टैरिफ नियत करने को निबंधनों और शर्तों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आयोग, सभी संबंधित व्यक्तियों की राय पर विचार करने के पश्चात् ब्यौरेवार निबंधनों और शर्तों को जिनमें ऊर्जा के लिए प्रभारों के निर्धारण की रीति भी सम्मिलित है, अधिसूचित करेगा।

79. (1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई उत्पादक कंपनी और उससे भिन्न कोई उत्पादक कंपनी, जो एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत उत्पादन और विक्रय की संयुक्त स्कीम आरंभ कर चुकी है या इसकी ऐसी कोई अन्यथा संयुक्त स्कीम है, आयोग द्वारा टैरिफ के लिए सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना विद्युत आपूर्ति के लिए अपने ग्राहक से कोई प्रभार वसूल नहीं करेगी।

(2) कोई भी यूटीलिटी, ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय पारेषण के लिए आयोग के साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना कोई टैरिफ वसूल नहीं करेगा।

परन्तु यह है कि उपर्युक्त विनियम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों पर उस तारीख से लागू होंगे जिसको उपर्युक्त आयोग द्वारा प्रवर्तन के लिए अधिसूचित होंगे।

परन्तुक यह और कि अधिनियम की धारा 13 के कार्यक्षेत्र में आने वाले टैरिफ संबंधी किसी भी मामले को हाथ में लेने की आयोग की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार के सवामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उत्पादक कंपनियों द्वारा वसूल किए जा रहे विद्यमान टैरिफ को उपर्युक्त विनियम में यथा निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख के बाद ऐसी अवधि तक वसूल करना जारी रहेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

80. खण्ड 79 (1) में यथाविनिर्दिष्ट कोई उत्पादक कंपनी जो उत्पादक कंपनी और विद्युत क्रय करने वाले पक्षकार के बीच विद्युत आपूर्ति के लिए कोई करार किए जाने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसी संविदाएं करने से पूर्व टैरिफ के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

81. आयोग, समय-समय पर अधिनियम की धारा 13(छ) की शर्तों के अनुसार विद्युत टैरिफ संबंधित मामलों मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा जिसे अधिसूचित किया जाएगा।

82. उत्पादन और पारेषण यूटीलिटीज के टैरिफ विनियमन करने की आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग टैरिफ अवधारित करते समय निम्न घटकों को ध्यान में रखेगा :—

(क) टैरिफ समायोजन को नियोजित पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने और कार्यकुशलता सुधारने के साथ जोड़ने की आवश्यकता ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) उत्पादन तथा पारेषण की वास्तविक लागत के आधार पर टैरिफ को व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता ;

(ग) लागतों के पूल को तोड़ना ताकि लागतों का व्यवस्थित आबंटन किया जा सके ;

(घ) उत्पादन तथा पारेषण की कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा सेवा के स्तरों के उन्नयन में सतत वृद्धि के लिए निष्पक्ष रीति से पारदर्शी रूप समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता ;

(ङ) जहां बाजार विद्यमान नहीं है वहां प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों का अनुरूपण तथा प्रगामी प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों में कार्य आरंभ करना ;

(च) पर्यावरणीय मानकों को कम से कम लागत में अपनाना ;

(छ) सभी यूटीलिटियों के लिए एक स्तर के ही कार्यक्षेत्र का उपबंध करना ताकि उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र के प्रगामी समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके ; तथा

(ज) उद्योग के अनुकूल विकास की आवश्यकता।

83. आयोग, केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी को संदेय प्रभारों के विनियमन के साथ ही अंतर्राज्यीय विद्युत नियंत्रण के लिए अन्य पारेषण यूटीलिटिज को संदेय प्रभारों का भी विनियमन करेगा।

84. आयोग, बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उत्पादन और पारेषण यूटीलिटीज के लिए समुचित प्रोत्साहन स्कीमें तैयार कर सकता है, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा।

85. आयोग, यदि समुचित समझे तो टाइम ऑफ डे मीटरिंग (टी ओ डी) और बिलों के समय पर भुगतान के लिए स्वत: प्रोत्साहन वाली संदाय शर्तों जैसे कारकों से जुड़े विशेष टैरिफ का अनुमोदन कर सकता है।

86. विद्युत उत्पादन अथवा उसका पारेषण करने में संलग्न यूटीलिटीज, जिन्हें आयोग से अपना टैरिफ अनुमोदित करवाना अपेक्षित है, आयोग अधिसूचित निबंधनों और शर्तों के आधार पर टैरिफ प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे आयोग द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

87. विनियम 93 के अनुरूप उत्पादन या पारेषण के अनुमोदन अथवा पुनरीक्षण के लिए सभी याचिकाएं, आयोग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी और वे इन विनियमों के अध्याय 2 में विहित याचिकाओं से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होंगी।

88. आयोग प्रस्तावित टैरिफ, ऐसे अनुबंधों के आधार पर अनुमोदित कर सकता है जो उपयुक्त समझे जाएं और जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अनुमोदन की शर्तों में एक शर्त सदैव यह रहेगी कि उत्पादक कम्पनियां या पारेषण यूटीलिटीज के बीच टैरिफ से संबंधित किसी मामले से जुड़ा कोई भी विवाद आयोग द्वारा माध्यस्थम के अधीन होगा।

89. आयोग संबंधित यूटीलिटीज की बहियों तथा अभिलेखों की जांच याचिका के लंबित रहने के दौरान या अन्यथा रूप से किसी भी समय अपने अधिकारियों और/या परामर्शदाताओं से करा सकता है। अधिकारियों/परामर्शदाताओं की रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें विनियम 59 में यथा-विहित ढंग से रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया जाएगा।

90. संबंद्ध उपयोगिताएं ऐसी रीति से टैरिफ प्रकाशित करेंगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि कोई संशोधन आयोग द्वारा अनुमोदित होकर प्रकाशित न हो जाए।

91. आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से भिन्न टैरिफ वसूल करते हुए पाई जाने वाली किसी भी उपयोगिता के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने आयोग के निदेशों का पालन नहीं किया है और वह अन्य किसी अधिनियम के अधीन दायी अन्य किसी कार्यवाही या शास्ति के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन शास्तियों का दायी होगा। किसी वर्ष में किसी उपयोगिता द्वारा टैरिफ के किसी अतिरिक्त प्रभार के संबंध में आयोग के निदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

92. जब आयोग स्वत: ही इस संबंध में संतुष्ट हो जाएगा कि किसी उपयोगिता के टैरिफ की पुनरीक्षा की जरूरत हो गई है तो आयोग यथा-विहित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू करेगा। टैरिफ की स्वत: पुनरीक्षा की कार्यवाहियां वहीं होंगी जैसी कि इन विनियमों के अध्याय-2 में दी गई हैं।

93. टैरिफ पर आयोग के आदेशों की पुनरीक्षा, इसमें सुसंगत विनियम में यथा-विहित पुनरीक्षा शासित करने वाले सुसंगत विनियमों के अनुसार की स्वीकार की जाएगी।

94. उपयोगिताएं यथा-विहित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करेंगी जिनमें परिचालनीय और लागत डाटा निहित होगा जिससे आयोग अपने आदेश के कार्यान्वयन का मानीटर कर सके और उस आधार का पुन: मूल्यांकन कर सके।

अध्याय—6

योजना, विकास और विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन तथा पारेषण अनुज्ञप्ति की मंजूरी से संबंधित साधारण नियम :

95. आयोग किसी यूटीलिटी को तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा और आयोग योजना, विकास, संबंधित/अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा एकीकृत प्रचालन से संबंधित कोड का अनुमोदन करेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा जिसे भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

९६ विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (यथा-संशोधित) की धारा 27 (ग) के अधीन पारेषण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होगा।

९७ कोई भी पक्षकार जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 27 (ग)(4) के अधीन अनुमोदनार्थ आवेदन पर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के विनिश्चय से व्यथित हो अथवा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की ओर से किए गए अत्यधिक विलम्ब की शिकायत करता हो, तो वह अनुमोदन के इन्कार करने के यथा-स्थिति 30 दिनों के भीतर अथवा आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

९८ उपरोक्त विनियम में विनिर्दिष्ट अपील के लिए याचिका उसी प्रकार फाइल की जाएगी जैसी उन विनियमों के अध्याय 2 के अधीन उल्लिखित है तथा आयोग द्वारा किसी याचिका का निपटारा इन विनियमों के अध्याय-2 के उपबंधों में दी गई रीति से किया जाएगा।

९९ आयोग समुचित परिस्थितियों को लागू करने, कार्यकुशलता में सतत वृद्धि तथा सुचारू एकीकृत प्रचालन के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं को समय-समय पर उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

100. (1) ग्रिड प्रबंधन में केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता तथा घटकों के साथ-साथ अन्य संबंधित, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के विनियमन के कर्तव्य के निर्वाह में आयोग के विनियमनों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(2) आयोग अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियमनों तथा दिशा निर्देशों को जहां तक उनका संबंध अंतर्राज्यीय विद्युत प्रणाली प्रचालन या ग्रिड प्रचालन मामलों से संबंधित है वहां विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समय-समय पर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों अथवा राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्रों अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी; परिवर्तन के बिना अथवा परिवर्तन करके जैसा आयोग उचित समझता है, लागू करने का हकदार होगा।

(3) आयोग, उपरोक्त खंड (1) तथा (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में या तो स्वत: ही अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन या शिकायत पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।

परन्तु यह कि मामले अगर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 55 की उप-धारा (9) के अधीन आते हैं तो आयोग तत्संबंधी आवेदनों या शिकायतों को प्राय: तब तक स्वीकार नहीं कर सकता अथवा कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब तक इसे निर्दिष्ट विवादक पर प्राधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता या प्राधिकरण को विचारार्थ मामलों को भेजने के पश्चात् तीन महीने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

याचिकाओं के निपटान की समय-सीमा

101. आयोग सामान्यत: याचिकाओं का अंतिम निपटान छ: माह के भीतर कर सकता है।

सलाहकार समिति :

102 (1) इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिकल्पित सलाहकार समिति में 31 से अनधिक सदस्य होंगे जो आयोग द्वारा यथा-निर्णीत तथा इस अधिनियम में यथा-उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सदस्यों का कार्यकाल आयोग द्वारा यथा-निर्णीत तथा अधिसूचित के अनुसार होगा।

(2) यह आयोग समिति के सदस्यों को खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा ऐसे भत्ते/फीस का संदाय कर सकता है जो आयोग समय-समय पर विनिश्चित करे।

विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनरीक्षण :

103 (1) आयोग, किसी भी समय पर स्वत: ही किसी संबंधित व्यक्ति अथवा पक्षकार की याचिका पर, किसी विनिश्चय, निदेश अथवा आदेश देने के 60 दिन के भीतर, ऐसे विनिश्चय, निदेश या आदेश की पुनरीक्षा कर सकता है और जो भी आदेश वह उचित समझे उसे पारित कर सकता है।

(2) ऐसे पुनरीक्षण के लिए याचिका उसी रीति से फाइल की जाएगी जैसा इन विनियमों के अध्याय 2 के अधीन उल्लिखित है।

मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही जारी रखना :

104 (1) जहां किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए अथवा वह दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णित हो जाए या किसी कंपनी के मामले में वह कंपनी बंद हो जाए, तो कार्यवाहियां उत्तराधिकारी के साथ से ही जारी रहेंगी जैसे संबंधित पक्षकार का कार्यपालक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि के समय जारी रहती हैं।

(2) आयोग रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, कार्यवाहियों को उस स्थिति में उपसमनित समझेगा यदि आयोग ऐसा निदेश देता है और मामले के रिकार्ड में अगले हित उत्तराधिकारी आदि को रिकार्ड में लाना चाहता है तो इस प्रयोजनार्थ याचिका उस घटना से 90 दिन के भीतर फाइल की जाएगी जिसके संबंध में अगले उत्तराधिकारी को रिकार्ड में लाने की जरूरत है।

जनता को बताई जाने वाली कार्यवाहियां :

105. आयोग के समक्ष की जा रहा कार्यवाहियां जनता के लिए खुली होंगी।

परन्तु आयोग, यदि उचित समझे, और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी विशिष्ट मामले की कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि जनसाधारण अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रवेश सीमित होगा।

106. (1) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसार जो कोई भी साक्षय आयोग का अपमान करता है अथवा आयोग की कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करता है उसे छः मास तक की अवधि के साधारण कारावास अथवा जुर्माने से जो 1000 रु. तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 345 के अनुसार, जो कोई भी आयोग का अपमान करता है अथवा आयोग के समक्ष में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, आयोग उस अपराधी को अभिरक्षा में रख सकता है और पीठ के उठने से पूर्व उसी दिन किसी भी समय अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को कारण बताने का समुचित अवसर देने के बाद कि उसे इस धारा के अधीन दंडित क्यों न किया जाए, उस पर 200 रु० से अनधिक की राशि का जुर्माना कर सकता है तथा जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे एक मास तक के साधारण कारावास की सजा दे सकता है जब तक ऐसा जुर्माना जल्दी अदा न किया जाए।

107. यदि आयोग उपर्युक्त विनियम में यथा निर्दिष्ट किसी भी मामले में यह समझता है कि उसके अधीन निर्दिष्ट अपराधों में से किसी भी अपराध में आरोपित किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसे जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर अन्यथा कारावास की सजा दी जाए अथवा उस पर कारावास के साथ 200 रु. से अधिक जुर्माना किया जाए अथवा आयोग का किसी अन्य कारण से यह विचार है कि मामले को विनियम 106 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह उस मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जो उसके विचारण हेतु अधिकृत है और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की पेशी के लिए सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत हो सकती है अथवा यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जाएगा।

<u>याचिका का प्रकाशन:</u>

108. (1) जहां कोई आवेदन, याचिका अथवा अन्य सामग्री इस अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो तो जब तक कि आयोग अन्यथा रूप से आदेश न दे या अधिनियम अथवा विनियम में अन्यथा रूप में व्यवस्था न की गई हो, उसे सुनवाई की निर्धारित तारीख से 7 दिन से पूर्व प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रकाशनों का शीर्षक ऐसा होगा जिनमें सामग्री का विषय संक्षेप में वर्णित होगा।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ आयोग के पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

आयोग के अभिलेखों और उनकी गोपनीयता का निरीक्षण:

109. (1) आयोग के अभिलेख उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं फीस के संदाय और ऐसी शर्तों के जिन्हें आयोग निदेशित करके अनुपालन के अधीन रहते हुए सभी के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) आयोग उन निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियों की किसी व्यक्ति को प्रदाय की व्यवस्था कर सकता है।

(3) आयोग, आदेशानुसार यह निदेश दे सकता है कि कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्रियां आयोग अथवा उसके किन्हीं अधिकारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं या अन्यथा रूप से उनके कब्जे में या अभिरक्षा में आ जाएं, वह गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होगा और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध नहीं होगा और आयोग यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात अथवा सामग्री का प्रयोग सिवाय आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अवस्था के किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा।

प्रक्रिया पर आदेशों और निदेशों का जारी करना:

110. आयोग इस अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर विनियमों के कार्यान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विविध मामलों के संबंध में, जिसके लिए इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निदेशित करने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश और कार्य निदेश जारी कर सकता है।

आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति:

111. इन विनियमों से ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो आयोग की ऐसी अंतर्निहित शक्ति को न्यायिक दृष्टि से आवश्यक आदेश देने या आयोग की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए सीमित करता हो या अन्यथा प्रभाव डालता हो।

112. इन विनियमों में, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया ही अपनाने से आयोग पर कोई वर्जन नहीं होगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध से मतभेद रखते हों, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत और लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

113. इन विनियमों में, स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से आयोग पर इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी मामले पर कार्रवाई करने या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई वर्जन नहीं होगा जिसके लिए कोई विनियमन नहीं बनाया गया है और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के संदर्भ में वह कार्रवाई कर सकता है, जो वे उचित समझे।

संशोधित करने की साधारण शक्ति:

114. आयोग, किसी भी समय और लागत के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जैसा भी वह उचित समझे, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या गलती के संबंध में संशोधन कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन, कार्यवाहियों में उत्पन्न विवाद्यक या वास्तविक प्रश्न के अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बनाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति:

115. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकता है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप असंगत नहीं है, जो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

विहित समय का विस्तारण या संक्षेपण:

116. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को बढ़ाया जा सकता है (भले ही वह पहले समाप्त हो गया हो या नहीं) या उस समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से कम किया जा सकता है.

अनुपालन करने का प्रभाव:

117. इस विनियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन में असफलता तब तक केवल ऐसी असफलता के कारण किसी कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी जब तक कि आयोग इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि ऐसी असफलता के कारण न्याय की हत्या हुई है।

लागतें:

118. (1) ऐसी शर्तों और सीमा के अध्यधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित किए जाएँ, सभी कार्यवाहियों और अनुषंगिक कार्यों की लागत आयोग के विवेकानुसार प्रदान की जाएंगी और आयोग को यह अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि किसे या किस निधि से और कितनी मात्रा तक लागतों का संदाय करना है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने का पूरा अधिकार है।

(2) लागतों का संदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जिसे आयोग आदेश के द्वारा निदेशित करे। आयोग का, लागतों का अधिनिर्णयन के आदेश का पालन सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन:

119. सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन और अनुपालन, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार [illegible] आयोग का [illegible] किया जा सकता है।

[illegible]

प्ररूप-1

कार्यवाही के लिए साधारण शीर्षक

(विनियम 28 देखें)

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष नई दिल्ली

फाइल करने की संख्या

मामला संख्या

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिका या आवदेन-पत्र के प्रयोजन का आधार)

और

निम्नलिखित के मामले में :—

(आवेदनकर्त्ता/याचिकाकर्त्ता के नाम और पूरा पता तथा प्रत्यार्थी के नाम और पूरा पता)

प्ररूप-2

(विनियम 29 देखें)

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष नई दिल्ली

फाइल करने की संख्या : ....

मामला संख्या : ....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित के मामले में:—

(याचिका या आवेदन-पत्र के प्रयोजन का आधार)

और

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिकाकर्त्ताओं/आवेदकों के नाम और पूरा पता तथा प्रत्यर्थी के नाम और पूरा पता)

याचिका/उत्तर/आवेदन का सत्यापन करने वाला शपथ-पत्र

मैं (नाम) .... सुपुत्र .... आयु .... का निवासी सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूं और निम्नलिखित रूप में कथन करता हूं :

1. मैं याचिकाकर्त्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी आदि हूं या मैं उपर्युक्त मामले में .... याचिकाकर्त्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी का निदेशक/सचिव/भागीदार हूं तथा मुझे उक्त याचिकाकर्त्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी ने यह शपथ-पत्र देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया हुआ है।

2. याचिका/आवेदन/उत्तर के पैरा .... में दिया गया कथन अब मुझे दर्शित किया गया है और अक्षर ''अ'' के साथ चिह्नित किया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा .... में दिया गया कथन मेरी जानकारी पर आधारित है और मुझे विश्वास है कि वह सत्य है।

आज तारीख .... को स्थान .... पर सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूं कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है।

मेरे समक्ष निम्नलिखित द्वारा पहचाना गया:

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव